

UPLL010024372024



न्यायालय- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ललितपुर।

सत्र परीक्षण सं. 617/2024
मु.अ.सं.-49/2024
सरकार बनाम देवेन्द्र यादव
धारा - 302, 201 भा.द.सं.
थाना-मडावरा, जिला ललितपुर।

आरोप

मैं लोकेश कुमार, अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (E.C.Act)/(Electricity Act)ललितपुर आप अभियुक्त देवेन्द्र यादव पुत्र सोनी प्रसाद यादव निवासी ग्राम रनगांव मडावरा जिला ललितपुर के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित करता हूँ-

1- यह कि दिनांक 27.04.2024 को समय 9 बजे स्थान मकान मृतका बहद ग्राम रनगांव तहसील बथाना मडावरा जिला ललितपुर में वादिनी मुकदमा की बहन रेखा देवी गंधर्व की हत्या कर दी। इस प्रकार आपके द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपके द्वारा मृतका की हत्या कर पंखे से लटका दिया गया तथा घटनास्थल से भाग गये। इस प्रकार आप लोगों द्वारा भा०द०सं० की धारा 201 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको विनिर्दिष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आरोप के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

Date-01.10.2024

(लोकेश कुमार)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया उसने आरोप से इन्कार किया और विचारण किये जाने की याचना की गयी।

Date-01.10.2024

(लोकेश कुमार)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।